तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
12.08.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से श्री सुनिल कुमार जागीड़ एडवोकेट ने वकालतनामा व जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी सं. 3 बावजुद सम्यक तामील अनुपस्थित। अत अप्रार्थी सं. 3 के विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। बहस वकुलाय उभय पक्षों की सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 31.08.2021 को पेश हो।
31.8.2021	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि ग्राम कैरवाली की भूमि ख.न. 356/2, 356/3, 685, 687/3, 750, 752 किता 6 रकबा 3.72 हेक्ट. प्रार्थी के पिता स्व. रामजीलाल उर्फ रामलाल के नाम दर्ज है। प्रार्थी के पिता का दिनांक 26.3.2016 को देहान्त हो चुका है। राजस्पव रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रामजीलाल के स्थान पर रामलाल दर्ज है। घर परिवार पर प्रार्थी के पिता को बचपन में लाड प्यार से रामलाल भी बोला जाता था इस कारण सहवन से विरासत के ना0क0 द्वारा राजस्व रिकार्ड में रामलाल दर्ज हुआ है जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम रामजीलाल है। पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसनामा पेश किया है जिन सभी में प्रार्थी के पिता का नाम रामजीलाल दर्ज है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रार्थी के भाई व बहिन है जिन्होने भी जबाब पेश कर दुरूस्ती किया जाना उचित व न्यायासंगत माना है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। दौराने बहस वकील अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी द्वारा जो दुरूस्ती की सहायता चाही गई है व उचित एवं न्यायसंगत है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षों की सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड एवं दस्तावेज से प्रार्थी के पिता का सही व वास्तविक नाम रामजीलाल होना सिद्व होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम कैरवाली तहसील नीमकाथाना के भूमि 356/2, 356/3, 685, 687/3, 750, 752 किता 6 रकबा 3.72 हेक्ट. में दर्ज खातेदार **रामलाल पुत्र श्योनारायण** के स्थान पर **रामजीलाल पत्र श्योनारायण** दरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते ळें तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)